


तेनाह किने जे | लोडर होमगार्डर विभाग से हटने के पश्चात् आर.  
डॉ. सी. उपलब्ध नहीं होने के कारण तेनाह नहीं हो सकी। भारतीय  
राष्ट्रीय दूरि अधिकरण, नेपाल के आदेशों की मालता से/दुरु क्षेत्र  
में एक अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए कार्यालय  
पर दिनांक: 10/4/2018 से पुलिस कमिश्नर, जयपुर पुलिस कमिश्नरीट  
जयपुर से निर्देश किया गया।

प्रतिबंधित उक्त क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध  
समय समय पर आन्वेषिक प्रीकिंग की जाकर वैधियों के विरुद्ध  
अवैध खनन/निर्गमन के 43 प्रकरण बनाये जा चुके हैं एवं  
अवैध खननकर्ताओं/निर्गमनकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस घाता कार्रवाई  
तद: बहली में दिनांक: 10/5/2018 व 30/5/2018 के प्रथम  
दफ्तरी रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराई गई। अवैध खनन/निर्गमन  
से शास्ती शांति के रूप में शक्ति समूह 18,40,550/- की  
माली की जा चुकी है रिपोर्ट प्रमाण के अन्वेषण एवं  
कार्यालय की अग्रिम कार्रवाई के साक्ष्य प्रेषित है।

  
MF II/25/6/18  
किशोरिंद

परिवाद क्रमांक: 05180553695598

उक्त परिवाद में अंकित तथ्य दिनांक: 14/5/18 के प्रमुख  
 आचार्य पत्र में प्रकाशित उक्त शीर्षक 'श्रीशला विद्यापीठ, लोहा नहर'  
 के संबंध में कार्यालय के ज्ञान, सहायक जनि अभियंता मय लक्ष्मी  
 स्टॉफ के साथ दिनांक: 14/5/18 के क्षेत्र का सीका निरीक्षण किया  
 गया। सीका निरीक्षण के साथ प्राप्त वाता में उपस्थित श्री अजयलाल  
 शर्मा ने बताया कि दिनांक: 9/5/18 के गांव में शदी समारोह होने में  
 इसका पायदा उठाकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुराने खतम बिट में  
 प्लास्टिक की गई, जिससे पत्थर उखलकर उनमें धर पर आ गया  
 परंतु कोई जनरल अथवा किसी के चोट नहीं पहुंची। बस सीका  
 निरीक्षण रैलान किया गया कि उक्त पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति  
 अर्थात् खतम। निर्माण वा कोई खतरा करते पाये जाते पर उक्त  
 विस्तृत निष्कर्षानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प-4 (1) खान/ग्रुप-2/99/पारि जयपुर  
 दिनांक: 16.11.2000 द्वारा राजस्थान अग्रवान अन्विष्ट शिवायत निष्ठावली, 1986  
 के नियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर नियम 63(4) के तहत  
 तद. लक्ष्मी के ग्राम दहडी, दहडखानपुरा, कुवाडा, दमरामपुरा, श्रीशाला, वाटा  
 आदि में निर्मित अन्विष्ट पर शायली एवं परमित मुकुट वहली विनाशोप  
 नकों के नष्टयन से की जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत  
 उक्त क्षेत्रों में दिनांक: 11.01.2016 तक खतम कार्य जारी रहा। श्री. आदित्य  
 प्रसाद मीणा पुत्र श्री सोहन मीणा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय दूरिष्ट अधिकांश, नोपाल  
 के सहायक प्राविण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक: 16/11/15 पारिष्ट आदेश  
 में इस प्रकार की खतम जलिनिलियां प्रिलंबित किये जाने पर शासन  
 के पत्र क्रमांक: प-20 (18) खान/ग्रुप-2/2004 जयपुर दिनांक: 11/1/2016 से  
 तद. लक्ष्मी के ग्राम दहडी, दहडखानपुरा, कुवाडा, दमरामपुरा, श्रीशाला,  
 वाटा आदि में खतम जलिनिलियां बंद करा गीने नी. बोर्ड दोमजपुत्र